राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार

विज्ञापन संख्या-BCECEB(Rev.)-2019/18 दिनांक- 15.03.2023

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (बिहार सरकार) के अधीन ''अमीन (जिला उप संवर्ग के अंतर्गत अंचल अमीन / भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता कार्यालय / भू-अर्जन निदेशालय)'' के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित Online Computer Based Test (CBT)-2019 के आधार पर पात्रता सत्यापन एवं मूल प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु सूचना

विज्ञापन संख्या-BCECEB(Rev.)-2019/16 दिनांक-01.03.2023 के क्रम में सर्वसाधारण एवं जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित अवधि में पूर्णरूपेण राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत अधिसूचित अमीन के पदों पर नियुक्ति हेतु Online आवेदन पत्र भरा है, को सूचित किया जाता है कि CBT के प्राप्तांक के आधार पर औपबंधिक सूची पर्षद के website: bceceboard.bihar.gov.in पर उपलब्ध कराते हुए दिनांक 31.01.2023 से 07.02.2023 तक एवं 24.02.2023 को Document Verification/ साक्षात्कार कार्यक्रम आयोजित की गई थी। तद्नुसार साक्षात्कार / पात्रता सत्यापन कार्यक्रम सम्पन्न कर विज्ञापन संख्या-BCECEB(Rev.)-2019/14 एवं 2019/15 दिनांक-27.02.2023 द्वारा परीक्षाफल प्रकाशित किया गया था। परीक्षाफल प्रकाशन उपरान्त समीक्षा के क्रम में कतिपय त्रुटियाँ पायी गयी, जिसके कारण प्रकाशित परीक्षाफल रद्द किया गया।

तद्नुसार पाये गये त्रुटियों के सुधार हेतु विज्ञापन संख्या-BCECEB(Rev.)-2019/17 दिनांक-15.03.2023 द्वारा आवश्यकतानुसार कतिपय कोटि के कुछ अतिरिक्त अभ्यर्थियों का Document Verification कराने की अनिवार्यता के आलोक में अभ्यर्थियों को Document Verification हेतु बुलाया गया है। सम्बन्धित विज्ञापन पर्षद के वेबसाईट bceceboard.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। प्रकाशित विज्ञापन में अंकित कार्यक्रम अनुसार कार्यक्रम में सम्मिलित अभ्यर्थी Document Verification हेतु उपस्थित हों।

2. अमीन के पदों के उम्मीदवारों के लिये पात्रता सत्यापन तथा मूल प्रमाण पत्रों की जाँच उक्त कार्यक्रम के अनुसार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद कार्यालय, आई.ए.एस. संघ भवन, पटना हवाई अड्डा के निकट, पटना-14 में आयोजित होगा । उपरोक्त सभी अभ्यर्थी अपने-अपने निर्धारित तिथि एवं समय पर सभी वांछित मूल अभिलेखों के साथ निश्चित रूप से उपस्थित होंगे।

3. **विज्ञापन संख्या-BCECEB(Rev.)-2019/11 दिनांक 14.01.2023 की अन्य सूचनाएँ एवं शर्त्तें यथावत लागू रहेंगी।**

नोडल पदाधिकारी